न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (एस.डी.ओ.) सिणधरी

पीठासीन अधिकारी :श्री जगदीश सिंह आशिया ,आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या 87 / 2024

प्रार्थी

रामाराम पुत्र धुड़ाराम जाति सांसी निवासी सिणधरी चारणान तहसील सिणधरी हाल निवासी निम्बलकोट तहसील नोखड़ा तहसील नोखड़ा जिला बाड़मेर

बनाम

विप्रार्थीगण

1. सरपंच ग्राम पंचायत सिणधरी चारणान
2. तहसीलदार सिणधरी

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 251 क, आर.टी एक्ट 1955

उपस्थिति–

1.श्री पाबूराम बेनीवाल, वकील प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. विप्रार्थी सं. 1 स्वयं उपस्थित।
2.राज.पैरोकार नायब तहसीलदार(तहसील कार्यालय सिणधरी) विप्रार्थी संख्या 02 की ओर से उपस्थित।

आदेश

दिनांक– 18.09.2025

संक्षेप में आवेदन के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की खातेदारी की भूमि खसरा संख्या 426 / 21 रकवा 0.2427 हैक्टयर ग्राम सिणधरी चारणान तहसील सिणधरी में अवस्थित है। उक्त खसरे में प्रार्थी की ढाणी, टांके चारबाड़े आदि बने हुए है। प्रार्थी उक्त भूमि पर काविज होकर काश्त करता आ रहा है। प्रार्थी द्वारा अपने खेत से सरकारी कटाण मार्ग तक आवागमन हेतु अपने खेत से लगते खसरा संख्या 23 रकबा 27.7730 हैक्टयर किस्म गै.मु. गोचर में से कदीमी समय से प्रयुक्त रास्ते का उपयोग किया जा रहा है। विप्रार्थीगण द्वारा कई बार उक्त रास्ता अवरूद्ध कर दिये जाने से प्रार्थी के लिए आवागमन की विकट समस्या हो जाती है। उक्त रास्ते के अतिरिक्त प्रार्थी के पास अन्य कोई विकल्प नहीं है और इसकी अत्याधिक आवश्यकता है। प्रार्थी उक्त रास्ते के बदले न्यायालय द्वारा निर्धारित क्षतिपूर्ति राशि अदा करने हेतु सहमत है। प्रार्थी ने अपने खेत एवं सरकारी कटाण मार्ग के मध्य के उक्त रास्ते की भूमि का राजस्व रिकार्ड में गै.मु. रास्ते के रूप में दर्ज करवाते हुए यह आवेदन प्रस्तुत किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.10.03 12:11:19 IST
Reason: SelfAttested

1 ने जवाब प्रस्तुत कर प्रार्थी को उक्त रास्ते की आत्यतिंक आवश्यकता होता तथा इसके अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं होना बताते हुए नियमानुसार उक्त रास्ते की भूमि गै.मु. रास्ते के रूप में दर्ज किये जाने में अपनी सहमति व्यक्त की।

प्रार्थी ने दस्तावेजी साक्ष्य में ग्राम सिणधरी चारणान के खसरा संख्या 426/21 एवं खसरा संख्या 23 सम्वत् 2076–79 की जमाबंदी, उक्त भूमि का नक्शा तथा प्रस्तावित रास्ते का नजरी नक्शा परिशिष्ट "अ" प्रस्तुत किया। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार सिणधरी से आवेदन के तथ्यों के सम्बन्ध में मौका रिपोर्ट तलब की गई। पुनः राजस्व विभाग राजस्थान के परिपत्र कमांक प.10(03)राज–06/2001/27 दिनांक 14.08.2025 के परिप्रेक्ष्य में रास्ते की आत्यतिंक आवश्यकता तथा अन्य वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं होने सम्बन्धी बिन्दुओं पर रिपोर्ट मंगवाई गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने निवेदन किया कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि से सरकारी कटाण मार्ग तक आने जाने हेतु खसरा संख्या 23 में से कदीमी रूप से प्रयुक्त हो रहा रास्ता ही इकलौता विकल्प है। इसके अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है और इस रास्ते की उसे आत्यंतिक आवश्यकता है। अतः उक्त रास्ते की भूमि को राजस्व रिकार्ड में गैर मुमकीन रास्ते के रूप में दर्ज की जावे। प्रार्थी इस भूमि का उपयोग आवागमन हेतु रास्ते के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन के लिए नहीं करेगा तथा न्यायालय द्वारा मुकर्रर क्षतिपूर्ति वहन करने हेतु सहमत है।

विप्रार्थीगण ने अपनी बहस में प्रार्थी की रास्ते सम्बन्धी मांग को जायज बताते हुए निवेदन किया कि यदि प्रार्थी रास्ते में जाने वाली गैर मुमकीन गोचर भूमि के बदले में राज्य सरकार के परिपत्र में जारी दिशा निर्देशों के अनुसार उतनी भूमि गै.मु गोचर के रूप में राज्य सरकार के हक में समर्पित करता है, तो उन्हें प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किये जाने में कोई आपत्ति नहीं है।

हीराराम पुत्र हरदानराम जाति भील निवासी निम्बलकोट के अजखुद उपस्थित होकर एवं अपना शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रस्तावित रास्ते की ना केवल प्रार्थी के लिए, बल्कि उस सहित समीपवर्ती समस्त खसरान् के खातेदारों के आवागमन के लिए आवश्यकता है। प्रार्थी को [illegible] है। अतः वे राज्य सरकार के राजस्व (ग्रुप–6) विभाग के परिपत्र [illegible](03) राज–6/2001/27 दिनांक 14.08.2025 के प्रावधानुसार ग्राम सिणधरी [illegible] अवस्थित अपनी खातेदारी भूमि खसरा संख्या 471/409 रकबा [illegible] में से गै.मु.गोचर के रूप में राज्य सरकार के हक में समर्पित करने हेतु सहमत है।

हमनें दोनों पक्षों की बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी ने अपनी खातेदारी भूमि से सरकारी कटाण मार्ग तक आवागमन हेतु खसरा संख्या 23

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.10.03 12:11:19 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी

व्यक्ति को चारागाह की भूमि मे से रास्ता दिया जाना है, उसे रास्ते में प्रभावित भूमि जितनी ही अपनी खातेदारी भूमि चारागाह हेतु समर्पित करनी होगी। रास्ते की भूमि गेर मुमकीन रास्ते के रूप में राजस्व रिकार्ड में दर्ज होगी। चूंकि तहसीलदार सिणधरी की रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी को आवागमन हेतु रास्ते की आत्यतिंक आवश्यकता है और हीराराम ने रास्ते में प्रभावित भूमि के जितनी ही भूमि सरकार के हक में समर्पित करने की सहमति देते हुए अपना शपथपत्र प्रस्तुत किया है। ऐसी सूरत में प्रस्तावित भूमि गैरमुमकीन रास्ते के रूप में राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम सिणधरी चारणान तहसील सिणधरी की खसरा संख्या 426/21 रकबा 0.2427 हैक्टयर से सरकारी कटाण मार्ग तक आवागमन हेतु खसरा संख्या 23 रकबा 27.7730 हैक्टयर में से 235 मीटर लम्बा व 6 मीटर चौड़ा रास्ता, जिसका क्षेत्रफल 0.1410 हैक्टयर होगा, निकालने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। राजस्थान सरकार के परिपत्र कमांक प.10 (03) राज–6/2001/27 दिनांक 14.08.2025 की पालना में हीराराम पुत्र हरदानराम कौम भील पेशा खेती निवासी निम्बलकोट तहसील नोखड़ा जिला बाड़मेर द्वारा 0.1410 हैक्टयर भूमि अपनी खातेदारी मे से गै.मु. गौचर के रूप में राज्य सरकार के हक में समर्पित करने पर तहसीलदार सिणधरी को रास्ते की भूमि का राजस्व रिकार्ड में गै.मु. रास्ते के रूप में अमलदरामद एवं नक्शा ट्रेस में दुरूस्ती सुनिश्चित करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार सिणधरी द्वारा जरिये पत्र कमांक भूअ/2024/2121 दिनांक 25.07.2024 प्रेषित मैका रिपोर्ट के सलंग्न नक्शा ट्रेस आदेश का अभिन्न अंग रहेगा।

(जगदीश सिंह आशिया)
उपखण्ड अधिकारी सिणधरी

आदेश आज दिनांक 18.09.2025 को ... कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.10.03 12:11:19 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी सिणधरी